



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-27-09-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त नवीन कुमार को लडकी भगा ले जाने के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल- 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 102/2023 धारा-363, 366, 376(3) भादवि व ¾ पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी- वजीरगंज गोपालपुर जनपद-बदायँ को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 27-09-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 363 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी